**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)**
**MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)**
**RAILWAY BOARD.**
*************

**No. F(E)III/2005/PN1/23.** **NEW DELHI** **Dt.28.12.2005**

**The GMs/ FA&CAOs,**
**All Zonal Railways & Production Units.**
****

**Sub:** Order dated 12th April, 2005, of the High Court of Judicature of Andhra Pradesh at Hyderabad in CC No.312 of 2005 in WP No. 8532 of 2003 – Regarding restoration of one-third portion of commuted pension after 15 years from the date of commutation.

****

Instructions were issued vide Department of Pension and Pensioners' Welfare vide O.M. No. 4/59/97-P&PW(D) dated the 14th July, 1998 and O.M. No. 4/29/99-P&PW(D) dt. 12.7.2000 circulated vide Board' letter No. F(E)III/96/PN1/9 dated 18.8.1998 and 2.8.2000 respectively for restoration of one third commuted portion of pension after 15 years from the date of commutation or 1st April, 1985, whichever is later, in respect of Government servants who had drawn lumpsum payment on absorption in PSU/autonomous body. In terms of those instructions, the basic pension sanctioned at the time of permanent absorption of such Government servants is to be notionally revised in accordance with the then prevailing instructions and one-third of the revised pension is to be restored after 15 years from the date of commutation or 1.4.1985, whichever is later, and Dearness Relief is to be paid on the full notional pension.

2. The Society for the Welfare of Former Central Government Employees Absorbed in Public Undertakings, Hyderabad, had filed OA, No: 1345/2001 in the Hyderabad Bench of Central Administrative Tribunal requesting for certain reliefs, which were allowed by the Tribunal vide their order dated 28th November, 2002. Aggrieved by this order, Government (Office of the Comptroller and Auditor General of India ) filed Writ Petition, No. 8532/2003 in the High Court of Judicature of Andhra Pradesh at Hyderabad, against the said order. The High Court, vide their order dated the 24th December, 2003, prescribed a different formula for restoration of one-third pension to such absorbees. It was felt in the Government that there was an error apparent on record in the said order dated the 24th December, 2003, hence a review petition, No: WPMP SR NO. 78433 in WP No: 8532 of 2003 was filed in the High Court praying for rectification of the error. In the meantime, a Contempt Petition No: 312/2005 was filed by the respondents in the High Court for non-implementation of the order dated the 24th December, 2003, of the High Court. The High Court, vide their order on 12th April, 2005, dismissed the review petition since it did not find any calculation error in their order dated the 24th December, 2003 and also dismissed the Contempt Petition holding that it is for the individual employees to make detailed representations with regard to the eligibility of pension keeping in view their order dated the 24th December,2003. While disposing of the contempt petition, the Court directed the petitioner association to forward the individual representations of the employees concerned to the respective departments and the same shall be considered and disposed of in the light or the

principles laid down by the Court in their order dated the 24th December, 2003, as expeditiously as possible, within a period of eight weeks from the date of submission of the applications.

3. Since the present policy of the Government and the High Court's order dated the 24th December, 2003, on the question of the mode of calculation for restoration of one-third portion of commuted pension of PSU absorbees are at variance with each other, DOP&PW advised the Office of the Comptroller and Auditor General of India to file an SLP before the Supreme Court. SLP(C) No. 9358-9359 of 2005 filed by the Accountant General, Orissa & Anr. Vs R.Rama Murthy & Anr. in the above case came up for hearing before the Supreme Court on 19.10.2005 and Hon'ble Supreme Court has granted interim stay.

4. In the meantime, the High Court of Andhra Pradesh in its order dated 28th September, 2005, in Contempt Case No. 760 of 2005 and CC SR No. 3981 of 2005 (filed by the Society for the Welfare of Former Central Government Employees Absorbed in Public Sector Undertakings, Hyderabad against Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi and others) stated as below:-

> " In view of the submission made by the Learned Standing Counsel and in the facts and circumstances of the case as to the pension of the members of the petitioner- association, without expressing any opinion on the merits of the contempt cases, in order to put a quitus to the lis, we feel it just and proper to modify the mode of calculation of the pension to the effect that the pension has to be calculated in respect of the persons whose representations had been forwarded by the petitioner – Association to the respondents, as per the existing rules without reference to the mode of calculation as adopted by the earlier Division Bench of this Court in WP No. 8532 of 2003, within a period of three months from the date of receipt of copy of this order.
>
> Subject to the above modification, these contempt cases are closed. However, in view of the fact that the matter pertains to the retired employees, it is made clear that if any representations by the retired employees are received subsequently, their cases should also be considered on par with the members of the petitioner-association."

5. In view of the above order of the High Court of Andhra Pradesh, all Zonal Railways are requested to take appropriate action for finalizing the restoration of the 1/3rd portion of the pension to PSU absorbee in terms of the existing rules and regulations in the matter.

6. Please acknowledge receipt.

(S.SREERAM)
**Joint Director Finance (Establishment)**
**Railway Board.**

**Copy to:- EDPC, DPC, EDV(E), DS(D), EDE (Res), EDE, JS(G), JS(E), E(G), ERB-I, II,III, E(O)I, II, III and (CC), PC-III, IV, V, E(P&A)I, II.**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ (ई)III/2005/पी एन 1/23 नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2005

महाप्रबंधक/विस एवं मुलेधि,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय :- सरांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पश्चात संराशीकृत पेंशन के एक-तिहाई भाग की बहाली के संबंध में 2003 की रिट याचिका सं. 8532 में 2005 के सी सी 312 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का दिनांक 12 अप्रैल, 2005 का आदेश.

बोर्ड के दिनांक 18.8.1998 तथा 2.8.2000 के पत्र सं. एफ (ई) III/96/पी एन 1/9 के माध्यम से परिपत्रित पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के क्रमशः दिनांक 14 जुलाई, 1998 के का. ज्ञा. सं. 4/59/97-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) तथा 12.7.2000 के का. ज्ञा. सं. 4/29/99-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) के द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे जो उन सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में समाहन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त किया था, के संबंध में संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात अथवा 1 अप्रैल, 1985, जो भी बाद में हो, पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत भाग की बहाली से संबंधित है. उन अनुदेशों के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के स्थायी समाहन के समय स्वीकृत मूल पेंशन को तत्कालीन प्रचलित अनुदेशों के अनुसार सैद्धांतिक रूप से संशोधित किया जाना होता है तथा एक-तिहाई संशोधित पेंशन को संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात अथवा 1.4.1985, जो भी बाद में हो, बहाल किया जाना होता है तथा महंगाई राहत का भुगतान संपूर्ण सैद्धान्तिक पेंशन पर किया जाना होता है.

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाहित किए गए पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कल्याण समिति, हैदराबाद ने कतिपय राहतों के लिए अनुरोध करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की हैदराबाद पीठ में मूल आवेदन सं. 1345/2001 दायर किया था, जो उन्हें अधिकरण द्वारा अपने 28 नवंबर, 2002 के आदेश द्वारा प्रदान की गई थी. इस आदेश से अपकृत होकर सरकार (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय) ने उक्त आदेश के खिलाफ हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 8532/2003 दायर की थी. उच्च न्यायालय ने 24 दिसंबर, 2003 के अपने आदेश द्वारा ऐसे समाहित किए गए

कर्मचारियों को एक-तिहाई पेंशन की बहाली के लिए एक अलग फार्मूला निर्धारित किया है. सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि दिनांक 24 दिसंबर 2003 के उक्त आदेश में कोई चूक है, इसलिए इस चूक में सुधार करने की प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय में 2003 की रिट याचिका सं. 8532 में एक पुनरीक्षा याचिका सं. डब्ल्यू पी एम पी एस आर सं. 78433 दायर की गई थी. इस दौरान, प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर, 2003 के आदेश को लागू न किए जाने के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका सं. 312/2005 दायर कर दी. उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 2005 के अपने आदेश के द्वारा पुनरीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था क्योंकि उन्होंने दिनांक 24 दिसंबर, 2003 के अपने आदेश में गणना संबंधी कोई चूक नहीं पायी थी और साथ ही यह निर्णय लेते हुए अवमानना याचिका को भी खारिज कर दिया था कि दिनांक 24 दिसंबर 2003 के उनके आदेश को ध्यान में रखते हुए, पेंशन की पात्रता के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी को अलग-अलग विस्तृत अभ्यावेदन करना है. अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के संघ को निदेश दिए कि संबंधित कर्मचारियों के व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित विभागों को भेजें और उस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2003 के अपने आदेश द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा और उनका निपटारा यथा संभव शीघ्र आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा.

3. चूंकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समाहनकर्ताओं की संराशीकृत पेंशन के एक-तिहाई भाग की बहाली करने के लिए गणना के तरीके के प्रश्न पर सरकार की वर्तमान नीति तथा उच्च न्यायालय के दिनांक 24 दिसंबर 2003 के आदेश एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को उच्चतम न्यायालय के सम्मुख विशेष अनुमति याचिका दायर करने की सलाह दी थी. उपर्युक्त मामले में महालेखाकार, उड़ीसा एवं अन्य बनाम आर. रामामूर्ति एवं अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9358-9359/2005 उच्चतम न्यायालय के सम्मुख सुनवाई के लिए 19.10.2005 को आई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम स्थगन का आदेश दिया है.

4. इस दौरान, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2005 के अवमानना मामला सं. 760 तथा 2005 के सी सी एस आर सं. 3981 (सचिव, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा अन्य के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाहित किए गए पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कल्याण समिति, हैदराबाद द्वारा दायर) में 28 सितंबर, 2005 के अपने आदेश में निम्नानुसार उल्लेख किया है :-

> "विद्वान प्रतिष्ठित वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन तथा याचिकाकर्ताओं के संघ के सदस्यों के पेंशन के संबंध में मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अवमानना मामलों के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, इस वाद का

निपटान करने के लिए, हम इस आशय के लिए पेंशन की गणना के तरीके में आशोधन करना न्यायोचित तथा उचित समझते हैं कि उन व्यक्तियों, जिनके अभ्यावेदन याचिकाकर्ताओं के संघ ने प्रतिवादियों को भेज दिए थे, की पेंशन की गणना इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की पूर्ववर्ती डिवीजन खंडपीठ द्वारा 2005 की रिट याचिका सं. 8532 में अपनाए गए अनुसार गणना के तरीके का हवाला लिए बिना, मौजूदा नियमों के अनुसार की जानी है.

उपर्युक्त आशोधन के अध्यधीन, इन अवमानना मामलों को समाप्त किया जाता है. बहरहाल, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बाद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो उनके मामले को भी याचिकाकर्ताओं के संघ के सदस्यों के अनुसार मानते हुए विचार किया जाए."

5. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले में मौजूदा नियमों तथा विनियमों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समाहित किए गए कर्मचारियों की पेंशन के $1/3$ भाग की बहाली को अंतिम रूप देने के लिए समुचित कार्रवाई करें.

कृपया पावती दें.

एस० श्रीराम

(एस. श्रीराम)
संयुक्त निदेशक वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड.